# राजस्थान सरकार
## वित्त (G&T) विभाग

क्र0: एफ 2(1)वित्त/एस.पी.एफ.सी./2017 जयपुर, दिनांक– 09.07.2021

## परिपत्र

**विषयः– राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन में बालश्रम नियोजित नहीं करने बाबत्।**

इस विभाग द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन के संबंध में जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 30.04.2018 व 14.11.2018 की निरन्तरता में समस्त उपापन संस्थाओं को यह निर्देशित किया जाता है कि "बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 तथा उक्त अधिनियम के तहत राजस्थान बाल श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन नियम, 2018 के प्रावधानानुसार बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित करते हुए इसका उल्लघन दंडनीय अपराध निर्धारित किया गया है, अतः मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन में बालश्रम नियोजित नहीं करने के प्रावधान की अक्षरशः पालना की जावे व निविदा प्रपत्रों में इसका उचित स्थान पर उल्लेख किया जाना सुनिश्चित करें।

9/7/2021
(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव,राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/समस्त विशिष्ट शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त उपशासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. प्रधान महालेखाकार (ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर।
9. प्रधान महालेखाकार ऑडिट, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
11. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, समस्त विभाग।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

9/7/2021
संयुक्त शासन सचिव